

17.05.2018 परिवादी सहित सुश्री कमरून निशा सिद्धिकी अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपीगण सहित श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु नियत है।

परिवादीगण मनीष असाटी तथा आशीष असाटी स्वयं उपस्थित।

इसी स्तर पर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320 एवं 320(2) द.प्र.सं. का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

राजीनामा के संबंध में परिवादीगण/साक्षीगण मनीष एवं आशीष असाटी को सुना गया, जिस पर उन्होंने आरोपीगण से अपने प्रति किये गये अपराध के संबंध में न्यायालय के बाहर बिना किसी डर, दबाव व लालच के स्वेच्छापूर्वक राजीनामा किया जाना व उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होना बताया है और अब उनके मन में आरोपीगण को लेकर कोई बैरभाव न होना व्यक्त किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादीगण/साक्षीगण मनीष एवं आशीष असाटी के प्रति किये गये अपराध के संबंध में आरोपीगण पर धारा-294, 325/34 भा.दं.वि. के अधीन अपराध किये जाने का अभियोग है। उक्त सभी धाराएँ व्यथित पक्षकारों के विकल्प पर शमन योग्य हैं। परिवादीगण/साक्षीगण मनीष एवं आशीष असाटी ही मामले के व्यथित पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र विधि के प्रावधानों के अधीन एवं आवेदकगण/परिवादीगण/आहतगण की स्वतंत्र सहमति से प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाकर उन्हें उनके प्रति किये गये अपराध के संबंध में आरोपीगण लवलेश शुक्ला पिता मातादयाल शुक्ला, उम्र-35 साल तथा आरोपी मिथिलेश शुक्ला पिता मातादयाल शुक्ला, उम्र-35 साल दोनों जाति ब्राम्हण, निवासी वार्ड नंबर-02 रौंदाटोला बैहर जिला बालाघाट को धारा-294, 325/34 भा.दं.वि. में राजीनामा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तदनुसार उभयपक्ष की ओर से हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं फोटोयुक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के अधीन एवं पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इस कारण प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा किया जा चुका है। प्रस्तुत राजीनामा विधि के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार कर परिवादीगण/आवेदकगण/आहतगण मनीष एवं आशीष असाटी के प्रति किये गये अपराध के संबंध में आरोपीगण लवलेश शुक्ला पिता मातादयाल शुक्ला, उम्र-35 साल तथा आरोपी मिथिलेश शुक्ला पिता

मातादयाल शुक्ला, उम्र-35 साल दोनों जाति ब्राम्हण, निवासी वार्ड नंबर-02 रौंदाटोला बैहर जिला बालाघाट को धारा-294, 325/34, भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण के अभिरक्षा के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण का परिणाम विहित पंजी में दर्ज कर विहित अवधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक)

जानकारी